चीनी पर सेस लगाने और ई-पेमेंट पर जीएसटी छूट का फैसला टला

जीएसटी काउंसिल ने दोनों मसलों पर मंत्रिसमूह बनाने का फैसला किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गन्ना किसानों और चीनी उद्योग को संकट से उबारने की सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। जीएसटी काउंसिल की शुक्रवार को हुई बैठक में चीनी पर सेस लगाने और एथनॉल पर जीएसटी घटाने का फैसला नहीं हो सका। उपभोक्ताओं के लिए तो फिलहाल राहत की खबर है कि चीनी की कीमत अभी नहीं बढ़ेगी लेकिन गन्ना किसानों की मदद और चीनी मिलों को संकट से उबारने के लिए अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए अभी इंतजार करना होगा। काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट करने पर जीएसटी में दो प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव पर भी निर्णय टाल दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक में चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक के बाद जेटली ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये ही संवादाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाजार में चीनी की कीमत 26 से 28 रुपये प्रति किलो तक आ गयी है जबकि इसकी लागत काफी अधिक है। गन्ने की बकाया भुगतान राशि काफी अधिक हो गयी है। ऐसी स्थिति का मुकाबला करने लिए सेस लगाने का प्रस्ताव काउंसिल के समक्ष आया लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

- एथनॉल पर जीएसटी घटाने का भी नहीं हुआ फैसला
- वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक

15 दिन के भीतर रिपोर्ट देगा मंत्रिसमूह

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाला मंत्रिसमूह डिजिटल पेमेंट पर जीएसटी में छूट देने पर विचार करेगा। यह समूह 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा। इस समूह में गुजरात के वित्त मंत्री नितिनभाई पटेल, हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल इसके सदस्य हैं। चीनी पर सेस के बारे में विचार के लिए बने मंत्रिसमूह के संयोजक असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। इस समूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुंगतिवार, तमिलनाडु के मंत्री डी. जयकुमार और केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक सदस्य हैं।

जीएसटी काउंसिल ने चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव पर ऐसे समय विचार किया है जब हाल में सरकार ने किसानों को गन्ने पर 5.5 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करने का निर्णय किया है। इस पर करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।

चीनी पर फिलहाल पांच प्रतिशत जीएसटी है। प्रस्तावित सेस इसके अतिरिक्त होगा। इसी तरह काउंसिल एथनॉल पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला भी नहीं कर सकी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक मंत्रिसमूह गठित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिसमूह दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने चीनी पर सेस लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया। क्या सरकार चीनी की तरह जूट, रबर और अन्य वस्तुओं के लिए भी सेस लगाएगी। यह प्रस्ताव जीएसटी के मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वित्त सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि अगर काउंसिल चीनी पर सेस लगाने का फैसला करती है तो इसके लिए सरकार को एक अध्यादेश जारी करना पड़ेगा।

ई-पेमेंट पर जीएसटी में दो फीसद छूट का निर्णय टला : वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी में छूट के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। सरकार ने बीटूसी (व्यापारी से ग्राहक) लेनदेन चैक या डिजिटल मोड में पेमेंट करने पर जीएसटी में दो प्रतिशत (एक प्रतिशत सीजीएसटी और एक प्रतिशत एसजीएसटी) छूट देने का प्रस्ताव किया है। हालांकि यह छूट प्रति ट्रांजैक्शन अधिकतम 100 रुपये ही होगी। यह छूट उसी स्थिति में मिलेगी, जब किसी वस्तु पर जीएसटी की दर तीन प्रतिशत से अधिक हो। अधिकांश राज्य इसके पक्ष में थे लेकिन काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं हो सका। इसलिए अब इस पर विचार करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक मंत्रिसमूह गठित करने का फैसला किया गया है।

Dainik Jagaran

5/5/18